

14/10/19 व. का उपस्थित अधिवक्ता उभय
 पक्षों को प्राप्त कुरेगात पर
 बुद्धि काया निवेदन अधिवक्ता
 वाडी के द्वारा बहस कथन
 कर वाडी का वाउ लहसीमद्वारे
 चोख से प्राप्त कुरेगात के
 अनुसार अनिल डिप्टी हेतु
 निवेदन किया गया। निवेदन के
 अधिवक्ता प्रतिवाडी के डी वॉर
 वाडी का वाउ अलाबिक कुरेगात
 अनिल डिप्टी किया जा न्यायिक
 से न्यायोचित प्रतीत होत है।
 अतः वाडी का वाउ अलाबिक
 के आधार पर लहसीमद्वारे
 चोख से डिप्टी 16/2/17 के
 द्वारा प्राप्त कुरेगात अनुसार
 ब्रीफार किया जात है। डिप्टी एव
 जारी है निवेदन के
 निवेदन जाकर अगिल पुत्रापणी
 किया गया। पुत्रापणी कोसा
 बुद्धि होकर दण वक्कर के काहे
 लया दीपण दपत्र है। निवेदन
 उपर न्यायालय के सुनाय गये।

उपखण्ड अधिकारी
 चोख जिला जयपुर

